जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर

स्वत्व वाद संख्या 46/1995

दिनांक 04.07.2025

आवेदन दिनांक 10.06.2025 उतरवादी सुरेन्द्र गुप्ता की ओर से दाखिल किया गया है जिसकी प्रति अपीलकर्ता को प्रदान की गयी है। आवेदन में चर्चा की गयी है कि निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति कुल 71+6 पृष्ठों में,

2(ए) आपत्ति आवेदन, 2(बी) आपत्ति आवेदन का प्रमाणित प्रति जिसे झब्बु राय एवं कमल राय द्वारा धारा 9 बिहार एवं उड़िसा म्यूनिसिपल एक्ट के अंतर्गत आर0एस0 नक्शा में सुधार हेतु दिया गया था, 2(सी) असिस्टेंट सर्वे सुपरीन्टेंडेंट द्वारा स्थलीय जांच प्रतिवेदन जो आर0एस0 पलॉट संख्या 44, 50, 51 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति है, 2(डी) आपत्ति वाद संख्या 183/73 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति कुल आठ पन्ना)।

3 सी0एस0 पलॉट संख्या 775, 776, 777 से संबंधित म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल चार पृष्ठ)।

4 निर्णय सर्वे अपील वाद संख्या 527/1976 के प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 18 पृष्ठ)।

5 माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.1979 जो सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 2470/1976 के प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 06 पृष्ठ)।

6 पुलिस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति जो प्राथमिकी संख्या 173/1973 धारा 144 से संबंधित है (कुल 5 पृष्ठ)।

7 निर्णय एवं आदेश श्री एस0के0 चक्रवर्ती एस0डी0ओ0 हाजीपुर वाद संख्या एम–1/1008 जो 1973 ई0 का है, धारा 144/145 सी0आर0पी0सी0 दिनांक 06.10.1978 के प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 3 पृष्ठ)।

8 विविध वाद संख्या 10ए 1976 घारा 146 द0प्र0सं0 में पारित निर्णय तथा उद्धृत आदेश पत्र के प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 17 पृष्ठ)।

9 माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश जो कि आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या 65/1979 में दिनांक 20.09.1979 को पारित किया गया, के प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 02 पृष्ठ)।

10 श्री एस0के0 चक्रवर्ती कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित आदेश की छायाप्रति (कुल 09 पृष्ठ)।

11 आदेश पत्र एवं कार्यवाही दिनांक 0911.1979 से 16.11.1979 जो कि विद्वान मुंशिफ प्रथम हाजीपुर के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या 141/1989 से संबंधित है, के प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 10 पृष्ठ)।

Web copy not official

12 रिस्टोरेशन रिपोर्ट जो कि दखल वापस दिलाने से संबंधित है की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 04 पृष्ठ)।

13 कोट अमीन श्री राजेश्वर प्रसाद का प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति, जो कि नये सर्वे खाता संख्या 50 से संबंधित है और दखल वापस दिलाने के समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एस0के0चक्रवर्ती के आदेश के अनुपालन से संबंधित है के प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 02 पृष्ठ)।

14 पुराना नक्शा थाना संख्या 164 बागताज खान उर्फ पोखरा हाजीपुर वर्ष 1892/1893 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 02 पृष्ठ)।

15 वर्वर्दा तौजी संख्या 10142 बगताज खान जो कि बंटवारा वाद संख्या 37/1922–23 से संबंधित है, जिसमें नक्शा भी शामिल है जो कि तत्कालीन समाहार्ता के आदेश दिनांक 10.01.1928 के आलोक में है, की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति (कुल 10 पृष्ठ)।

को दाखिल किया गया है ताकि वाद के निष्पादन की दिशा में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया है कि उनकी ओर से विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली के न्यायालय में दस्तावेजों को खोजने के संबंध में दिया गया है जिसकी प्रति वह अगली तिथि को दाखिल करेंगे और उन्हें आवेदन दिनांक 10.06.2025 के माध्यम से जो दस्तावेज न्यायालय में दखिल किया गया है उसके संबंध में उन्हें कोई आपत्ति होगी तो निश्चित रूप से न्यायालय को बतायेंगे। दोनों पक्षों को सुना गया। उतरवादी को निर्देशित किया जाता है कि जिन 15 दस्तावेजों का वर्णन उन्होने किया है उस संबंध में निर्णय में वे कौन से प्रदर्श है उसके बारे में न्यायालय को सूचित करेंगे एवं उस आवेदन की प्रति भी अपीलकर्ता को देंगे। अपीलकर्ता को भी निर्देश्ति किया जाता है कि चुकि वे अपीलकर्ता है और यह वाद 1995 ई0 से लंबित है तो वे भी न्यायालय का सहयोग करेंगे और उनके पास जो भी सामग्री निर्णय में जिसकी चर्चा की गयी है यदि हो तो उपलब्ध करायेंगे ताकि पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जा सके। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को अभिलेख सीन करायें।

दिनांक 24.07.2025 को आदेश की अनुपालन हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला न्यायाधीश–तृतीय